समक्ष माननीय सदस्य म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्र.क्र. ~~निगरानी~~– निगरानी 4808/2018/विदिशा/भू.रा.

1. शिवराजसिंह आ0 श्री पूरनसिंह
2. रामराज आ0 श्री स्व0 श्री कैलाश(अवयस्क)
3. भगवानसिंह आ0 स्व0श्री कैलाश (अवयस्क)
द्वारा संरक्षक एवं माँ श्रीमती रूपवतीबाई
पत्नी स्व0 श्री कैलाश।
निवासीगण ग्राम बर्मुलिया उदा तहसील
सिरोंज जिला बिदिशा म0प्र0 ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. सदीन खॉ आ0 नजब खॉं
2. अजुद्दीन खॉ आ0 नजब खॉं
निवासी ग्राम करीखेड़ी तहसील सिरोंज
जिला विदिशा म0प्र0 ....अनावेदकगण

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण कि ओर से विद्वान अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा द्वारा उनके प्रकरण क्र. 62/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 11/06/18 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की दिनांक से निर्धारित समयावधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा रहे है।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बमुलिया उदा तहसील सिरोंज जिला बिदिशा म0प्र0 स्थित भूमि खसरा क्र0 491 एवं 492 राजस्व रिकार्ड में आवेदक क0 2 एव 3 के नाम पर दर्ज है । आवेदक क0 2 एव 3 कि भूमि से लगी अनावेदकगण की 490/1 कि भूमि है । अनावेदकगण ने अपने स्वामित्व की भूमि के सीमांकन बावत् राजस्व निरीक्षक महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । परन्तु राजस्व निरीक्षक महोदय ने सभी हितबद्ध एवं मेढ़ पड़ोसी को सूचना पत्र जारी किए बिना ही अवैधानिक तरीके से अनावेदकगण की भूमि का सीमांकन किया गया। सीमांकन की कार्यवाही के आधार पर अनावेदकगण द्वारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष धारा 250 म.प्र. भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने पर आवेदकगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विभिन्न आपत्तियां उठाते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने उभय पक्षो को नियमानुसार सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण क0 03/अ–70/14–15 में पारित आदेश दिनांक 04/07/15 के द्वारा अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत धारा 250 के आवेदन पत्र को निरस्त करने के आदेश दिये । अधिनस्थ तहसील न्यायालय न्यायालय द्वारा प्रकरण निरस्त करने के उपरान्त अनावेदक द्वारा पुनः उन्ही तथ्यो के आधार पर अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष धारा 250 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने प्रकरण नियमानुसार कार्यवाही किये विना ही प्रकरण क0 06/अ–70/15–16 में पारित आदेश दिनांक 31/01/17 द्वारा आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि से वेदखल करने के आदेश दिये । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित वेदखली आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गयी। अपील विचाराधीन रहने के दौरान आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अधिनस्थ

458

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4808/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम सिंह ठाकुर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	

तहसील न्यायालय से प्रकरण क्र0 03/